


III/ वि०/ रीवा/ 2017/3042

248

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर,
सर्किट कोर्ट रीवा (म०प्र०)



- 1- रमाकांत यादव तनय रामधन यादव
- 2- अर्जुन यादव तनय रामधन यादव
- 3- चितबहोरन यादव तनय रामधन यादव
- 4- कैलाशनाथ यादव तनय रामधन यादव

सभी निवासी ग्राम मझिगवॉ, तह० त्योंथर जिला रीवा (म०प्र०)

-----आवेदकगण/ निगरानीकर्तागण

बनाम

- 2- राजेन्द्र प्रसाद यादव तनय रामखेलावन यादव
- 3- पृथ्वीराज यादव तनय रामखेलावन यादव
- 4- प्रेमचन्द्र यादव तनय रामखेलावन यादव
- 5- चन्द्रकली पति भगवानदीन यादव
- 6- इन्द्रकली पति सुखलाल यादव
- 7- सूरजकली पति हरिनाथ यादव
- 8- फूलकली पति गुलाब यादव

सभी निवासी ग्राम मझिगवॉ तह० त्योंथर जिला रीवा म०प्र०

-----अनावेदकगण/ गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरुद्ध आदेश तहसीलदार
महोदय वृत्त चाकघाट तह० त्योंथर जिला

M

वि०

M

आवेदक बुद्ध 2
नी अर्जुन यादव
प्रस्तुत किया गया 31-8-17



कलक आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
31-8-17

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक III / निग0 / रीवा / भू-रा0 / 2017 / 3042

जिला-रीवा

रमाकांत यादव वगैरः / धर्मराज यादव

(1)	(2)	(3)
23.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री राकेश कुमार निगम उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, वृत्त चाकघाट, तहसील त्योंथर के प्रकरण क्रमांक 05/अ-3/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 25.06.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 04.07.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">  (बी.एम.शर्मा), सदस्य </p>	<p style="text-align: right;">  </p>